HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

#MISSIONSHAKTI

मिशन शक्ति अभियान फेस-5.0 के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों के आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 04.11.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 03.04.2021 को अभियुक्त अर्जुन कश्यप पुत्र रामेश्वर कश्यप निवासी चन्द्रलोक कालोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 247/2021 धारा 363, 376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)V एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 04.06.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 04.11.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट- प्रथम हापुड़ द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमति हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री एस एन वैभव पाण्ड़ेय पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्ड़ेय का विशेष योगदान रहा।